भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2590

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सब्सिडी की प्रभावशीलता

2590 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पोषक तत्व-वार जारी सब्सिडी, उर्वरक खपत तथा प्रति टन सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संतुलित पोषक तत्व के अनुप्रयोग तथा मृदा स्वास्थ्य पर सब्सिडी व्यवस्था के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) उर्वरक सब्सिडी ढांचे में सुधार हेतु किन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों यानी 2023-24 से 2025-26 के दौरान सरकार द्वारा संवितरित उर्वरक सब्सिडी की कुल राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(आँकड़े करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	सब्सिडी स्कीम	संवितरित राशि
2023-24	आयातित पीएंडके	28,929.57
	स्वदेशी पीएंडके	36,270.00
	स्वदेशी यूरिया	1,02,027.00
	यूरिया का आयात	28,193.94
	कुल	**1,95,420.51**
2024-25	आयातित पीएंडके	18,800.00
	स्वदेशी पीएंडके	34,010.00
	स्वदेशी यूरिया	1,03,319.50
	यूरिया का आयात	21,000.00
	कुल	**1,77,129.50**
2025-26	आयातित पीएंडके	33,999.99

	स्वदेशी पीएंडके	41,000.00
	स्वदेशी यूरिया	94,219.50
	यूरिया का आयात	47,956.24
	कुल	**2,17,175.73**

उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं बिक्री से संबंधित जानकारी **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की पोषक तत्व-वार खपत से संबंधित जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ख): सरकार मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। यह योजना 2014-15 से सभी कृषि जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) उपलब्ध कराने तथा उत्पादकता एवं मृदा उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

- मृदा के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाता है तथा pH, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज एवं बोरॉन) की उपलब्धता जैसे मापदंडों का विश्लेषण किया जाता है।
- 2014-15 से, देश भर में अब तक 26.09 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्मित/वितरित किए गए हैं।
- उपरोक्त राज्य मृदा प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश में 1020 स्कूल मिनी मृदा प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।
- इस स्कीम के अंतर्गत शुरुआत के बाद से अब तक 2153.29 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा चुका है।
- देश भर में 93781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन, 7425 किसान मेले/मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों पर अभियान आयोजित किए गए हैं।
- 1351166 हेक्टेयर क्षेत्र को भी स्कीम में सूक्ष्म पोषक तत्वों के संवर्धन और वितरण के तहत कवर किया गया है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 में 'भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की शीघ्र उपलब्धता के लिए मृदा परीक्षण अवसंरचना' विषय पर एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन 19 राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, के 76 जिलों में 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 1,700 किसानों को शामिल करते हुए किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग के परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10% की कमी पाई गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग के कारण फसलों की उपज में कुल मिलाकर 5-6% की वृद्धि दर्ज की गई।

- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना का एक प्रभाव अध्ययन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद द्वारा नवंबर 2017 में किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62.8% किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) में दी गई सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरकों के कम उपयोग के कारण प्रति एकड़ लागत में 4 से 10% तक की कमी आई। अधिकांश फसलों की उपज में वृद्धि हुई, यद्यपि यह वृद्धि मध्यम स्तर की रही। समग्र रूप से, धान के किसानों द्वारा यूरिया के उपयोग में 9%, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)/सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के उपयोग में 7% की कमी की गई, जबकि पोटाश के उपयोग में 20% की वृद्धि हुई। धान एवं कपास में विशेष रूप से यूरिया और डीएपी के उपयोग में पर्याप्त कमी आने से प्रति इकाई क्षेत्रफल खेती की लागत में कमी आई।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम पर एक अध्ययन किया है। मूल्यांकन में यह उल्लेख किया गया है कि योजना में कई संकल्पनात्मक सुदृढ़ताएँ हैं, जिनमें पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी के माध्यम से संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना, 28 उर्वरक ग्रेडों तक कवरेज का विस्तार तथा यूरिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम सब्सिडी आवश्यकता शामिल हैं। अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया है कि एनबीएस स्कीम की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने की गुंजाइश है, जिसके लिए एनबीएस ढाँचे में यूरिया को शामिल करने, प्रचालन प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उर्वरकों की वहनीयता में सुधार जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

(ग): भारत सरकार के उर्वरक विभाग तथा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों की सहमति से संयुक्त रूप से एक नई डिजिटल प्रणाली, अर्थात् 'उर्वरक विक्रय की रूपरेखा (Framework for Fertilizer Sale)' विकसित एवं शुरू की गई है। वर्तमान में इसे चरणबद्ध तरीके से पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित, किसान-केंद्रित, भूमि एवं फसल संबंधी आँकड़ों से एकीकृत तथा मांग-आधारित बनाना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, किसान अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करते हैं तथा उर्वरक की आवश्यकताओं की अग्रिम बुकिंग के लिए भूमि एवं फसल से संबंधित विवरण दर्ज करते हैं। उर्वरक की सफलतापूर्वक बुकिंग किए जाने पर क्यूआर कोड आधारित टोकन जनरेट होता है। क्रेता के उर्वरक लेने के लिए आने पर उर्वरक खुदरा विक्रेता द्वारा पीओएस उपकरण में इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तथा आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल का पायलट दिनांक 31.07.2026 तक चरणबद्ध तरीके से 22 राज्यों के 56 जिलों में लागू किया जा चुका है।

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2590 के उत्तर के भाग (क) के लिए है।

अखिल भारत

2023-24 से 2025-26 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	2025-26	381.45	450.79	396.6	110.42	121.72	100.8	158.49	198.97	150.37
2	2024-25	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	151.29	183.98	149.72
3	2023-24	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.73	126.31	156.51	116.8

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

अनुलग्नक-II

यह अनुलग्नक दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2590 के उत्तर के भाग (क) के लिए है।

2023-24 से 2025-26 के दौरान पोषक तत्वों के आधार पर खपत				
				मात्रा (हजार एमटी में)
वित्तीय वर्ष	**एन (नाइट्रोजन)**	**पी (फास्फोरस)**	**के (पोटाशियम)**	**एस (सल्फर)**
2023-24	20456.370	8306.721	1878.751	2049.943
2024-25	22148.199	8395.981	2383.962	2365.622
2025-26	22590.385	8611.281	2338.317	2920.398
सकल योग	**65194.954**	**25313.983**	**6601.030**	**7335.963**